

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2018/ 575

दिनांक : 26/06/2018

आदेश

निम्नलिखित नर्सिंग ट्यूटरो के स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक कारणों से उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं :-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	कहां से	कहां को	विशेष विवरण
1	पुरुषोत्तम शर्मा	जिला चिकित्सालय धौलपुर	एएनएम प्रशिक्षण केन्द्र धौलपुर	रिक्त पद पर
2	परमहंस	जीएनएम प्रशिक्षण केन्द्र, श्रीगंगानगर	एएनएम प्रशिक्षण केन्द्र श्रीगंगानगर	रिक्त पद पर
3	वीना मील	एएनएम प्रशिक्षण केन्द्र नोखा, बीकानेर	एसएमएस चिकित्सालय जयपुर	सोमप्रकाश पाराशर के स्थान पर
4	मीनू कुमारी	जेएलएन चिकित्सालय, अजमेर	एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर	रिक्त पद पर
5	रामावतार बुनकर	एएनएम प्रशिक्षण केन्द्र ब्यावर, अजमेर	एएनएम प्रशिक्षण केन्द्र अमरसर, जयपुर	रिक्त पद पर
6	राजेन्द्र कुमार	महात्मा गांधी चिकित्सालय, जोधपुर	जेएलएन मेडिकल कॉलेज, अजमेर	सुरेश चन्द्र आचार्य के स्थान पर
7	सोम प्रकाश पाराशर	एसएमएस चिकित्सालय जयपुर	एएनएम प्रशिक्षण केन्द्र, करौली	अशोक शर्मा के स्थान पर
8	अशोक शर्मा	एएनएम प्रशिक्षण केन्द्र, करौली	जेएलएन मेडिकल कॉलेज, अजमेर	रिक्त पद पर
9	लल्लू राम गुप्ता	राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग अलवर	एसएमएस चिकित्सालय जयपुर	करुणाकार पाण्डेय के स्थान पर
10	करुणाकार पाण्डेय	एसएमएस चिकित्सालय जयपुर	राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग अलवर	लल्लू राम गुप्ता के स्थान पर
11	संदीप अवस्थी	राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग अलवर	जेएलएन मेडिकल कॉलेज, अजमेर	रिक्त पद पर
12	रमेश चद्र बैरवा	एएनएम प्रशिक्षण केन्द्र, ब्यावर, अजमेर	एएनएम प्रशिक्षण केन्द्र, टोंक	रिक्त पद पर
13	रमेश चन्द्र गुरु	जीएनएम प्रशिक्षण केन्द्र, जालौर	एएनएम प्रशिक्षण केन्द्र, सिरौही	रिक्त पद पर
14	लक्ष्मण सिंह	जेएलएन चिकित्सालय, अजमेर	एसएमएस चिकित्सालय जयपुर	दौलत सिंह के स्थान पर
15	दौलत सिंह	एसएमएस चिकित्सालय जयपुर	जेएलएन मेडिकल कॉलेज, अजमेर	रिक्त पद पर
16	मुकेश तेतरवाल	एएनएम प्रशिक्षण केन्द्र, झुंझुनू	महात्मा गांधी चिकित्सालय, जोधपुर	रिक्त पद पर
17	जावेद अख्तर	एसएमएस चिकित्सालय जयपुर	जेएलएन मेडिकल कॉलेज, अजमेर	रिक्त पद पर

क्र.सं.	नाम कार्मिक	कहां से	कहां को	विशेष विवरण
18	धनपत राज मासीवाल	एसएमएस चिकित्सालय जयपुर	जेएलएन मेडिकल कॉलेज, अजमेर	रिक्त पद पर

- 1 संविदा/रिवर्स डेपुटेशन/एनएचएम योजना के अन्तर्गत पदस्थापित कर्मचारियों के स्थानान्तरण की क्रियान्विति नहीं होगी।
- 2 कर्मचारी का स्थानान्तरण भूलवश दो बार होने की स्थिति में प्रथम बार किये गये स्थानान्तरण की क्रियान्विति की जावे।
- 3 ऐसे संस्थान जहां एक ही पद स्वीकृत हैं। यदि वहां एक के अधिक कर्मचारी का स्थानान्तरण हो जाता है तो पहले कार्यग्रहण करने वाले कर्मचारी को कार्यग्रहण करावें। इसके पश्चात् उसी स्थान के लिए आने वाले कर्मचारी के पदस्थापन के संबंध में निदेशालय से निर्देश प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यवाही की जावे।
- 4 यदि कार्मिक का स्थानान्तरण रिक्त पद पर किया गया तथा उस संस्थान पर पद रिक्त नहीं हैं, तो कार्यग्रहण नहीं करवाते हुये अविलम्ब निदेशालय हेतु कार्यमुक्त करें।
- 5 रिक्त पद पर किये गये स्थानान्तरण में किसी भी स्थिति में कार्मिक का समायोजन अन्य समकक्ष/उच्च रिक्त पद पर नहीं किया जायेगा।
- 6 उपरोक्त शर्तों (1 से 5) की पालना किये जाने का दायित्व कार्यमुक्त करने वाले/कार्यग्रहण कराने वाले अधिकारी का होगा।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2018/575

दिनांक 26/06/2018

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- 1 विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 2 विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान जयपुर
- 3 विशिष्ट सहायक, मा. राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 4 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 5 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 6 संबंधित जिला कलेक्टर, राजस्थान।
- 7 संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
- 8 निदेशक, जनस्वास्थ्य/प0क0/एड्स/आईईसी/ई.एस.आई/भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई, जयपुर।
- 9 प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, संबंधित मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
- 10 संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
- 11 संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राजस्थान।
- 12 संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
- 13 संबंधित उप/अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), राजस्थान।
- 14 संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
- 15 संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी/संबंधित अधिकारी, राजस्थान।
- 16 संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी, राजस्थान।
- 17 प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 18 आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर